न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र संख्या– 32 / 2015

1– रामदेव पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी जानेवा पूर्व तहसील जायल जिला नागौर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– कानाराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जानेवा पूर्व तहसील जायल जिला नागौर।
2– तहसीलदार जायल जिला नागौर।
4– उपपंजीयक डेह जिला नागौर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित अधिवक्ता :–
1 श्री जीयाराम गोदारा प्रार्थी की और से।
2 श्री रामनारायण चौधरी अप्रार्थी सं. 01 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक 04.04.18

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 से 06 श्रीराम के वशज है। मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नम्बर 330 / 118 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 331 / 118 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 334 / 120 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 49 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बीघा व ग्राम जालनियासर के खेत खसरा नम्बर 77 / 1 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा पुश्तेनी

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

बडेर के खेत प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 से 06 के आये हुये है। प्रार्थी व अप्रार्थी स. 01 से 06 ने अपसी पारिवारिक सहमति से भूमि का मौखिक बंटवारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 के अनुसार कर रखा है। परन्तु अपार्थी सं.1 मुतदाविया खेताय को बैचान करना चाहते है इसलिये इन के विरूद्ध भूमि का बैचान नहीं करने व रिकार्ड की यथा स्थिति रखने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की किया जाकर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 01 की और से रामनारायण चौधरी ने जाबव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 02 से 03 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे इसलिये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 01 की और से वकील श्री रामनारायण चौधरी ने जबाब पेश कर प्रार्थना पत्र का पेरा वाईज खण्डन कर न्यायालय से निवेदन किया कि प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र में वंशावली दर्शायी है उन सब को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाकर बल्कि कानाराम को ही पक्षकार बनाया गया है शेष गोविन्दराम, हडमानराम व अप्रार्थी कानाराम की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा वंशावली सही अंकित नहीं की है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज कर अप्रार्थी के विरूद्ध में जारी की गयी स्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी वकील व वकील अप्रार्थी सं. 01 की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस मुख्यतया प्रार्थना पत्र पर आधारित रही। वकील अप्रार्थी सं. 01 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित वंशावली अधूरी पेश की है तथा वंशावली के अनुशार सभी को पक्षकार नही बनाया गया है तथा प्रार्थना पत्र तथ्य छुपाकर पेश किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा के खारीज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रवली के अवलोकन करने से स्पष्ठ हुआ की प्रार्थी के द्वारा मौजा जानेवा पूर्व के खसरा नम्बर 49 व 89 तथा मौजा आंवलियासर के खसरा नम्बर 77/01 के बडेर के होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है इन खसरान की भूमि को बडेर की भूमि बताकर प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य अंकित किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में जो वंशावली अंकित की है उस वंशावली के अनुशार सभी वारिसानों को प्रार्थी के द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है गलत तथ्य अंकित किया गया है जिस से साबित होता है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं होता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी की गयी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। तहरीर पालनार्थ तहसीलदार जायल को जारी हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
जायल,जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 04.04.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner